v/;k;&IV% fo|qr 'kqYd

4-1 कर प्रशासन

मुख्य विद्युत निरीक्षक विद्युत शुल्क कि सही दरें लागु करने, विद्युत उत्पादकों द्वारा समय पर विद्युत शुल्क जमा किये जाने एवं भुगतान पर हुई किसी भी देरी पर ब्याज आरोपित किये जाने को सुनिश्चित करने के लिए उत्तरदायी है। वह विद्युत संबंधित दुर्धटनाओं का निरीक्षण और उनके कारणों का पता लगाने के लिए भी उत्तरदायी है।

शासन स्तर पर विभाग का प्रमुख ऊर्जा विभाग का प्रमुख सचिव होता है। मुख्य विद्युत निरीक्षक के कार्यालय का प्रमुख अधीक्षण अभियंता (विद्युत सुरक्षा) एवं मुख्य विद्युत निरीक्षक (मु.वि.नि.) है। विद्युत ऊर्जा के उत्पादकों द्वारा निर्धारित प्रपत्र 'जी' में हर माह उत्पादन, स्वयं के खपत, ऑक्सिलियारी खपत एवं अन्य विद्युत ऊर्जा के उपभोक्ताओं को की गई बिक्री अथवा आपूर्ति के संबंध में जानकारी प्रदाय की जाती है। प्रपत्र 'जी' के आधार पर विभाग द्वारा विद्युत शुल्क निर्धारण एवं संग्रहण किया जाता है।

मुख्य विद्युत निरीक्षक की सहायता हेतु पाँच कार्यपालन अभियंता (विद्युत सुरक्षा) एवं संभागीय विद्युत निरीक्षक (सं.वि.नि.) संभागीय स्तर पर एवं 10 सहायक अभियंता (विद्युत सुरक्षा) एवं सहायक विद्युत निरीक्षक (स.वि.नि.) उप संभागीय स्तर पर कार्यरत है। विभाग का संगठनात्मक संरचना नीचे दिए गए pkV 4-1 में दर्शाया गया है।

pkV 4-1 % lxBukRed lajpuk

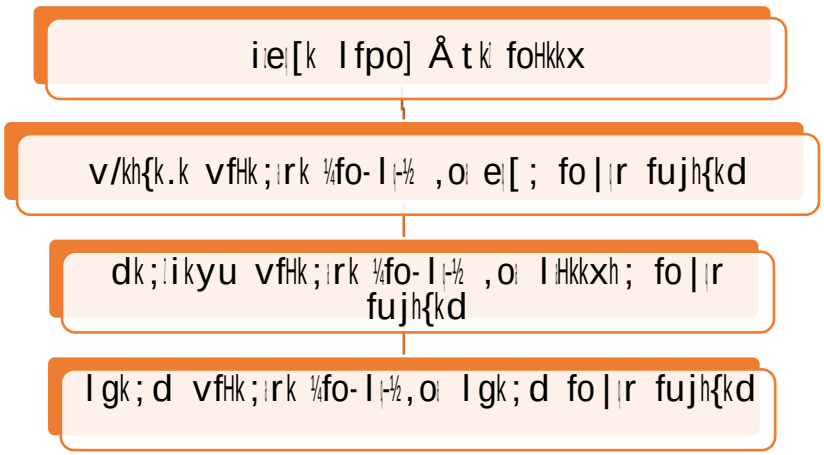

विद्युत शुल्क ने वर्ष 2018–19 के दौरान राज्य के स्वयं के राजस्व (कर एवं करेत्तर) का 6.15 प्रतिशत एवं राज्य शासन के कुल राजस्व[1] का 2.75 प्रतिशत योगदान दिया।

वर्ष 2018–19 के माहों के दौरान विद्युत (ऊर्जा) विभाग की प्राप्तियों में व्यापक उतार–चढ़ाव था तथा वर्ष की कुल प्राप्तियाँ राशि ₹ 1,790.27 करोड़ में से जून 2018 एवं मार्च 2019 में क्रमशः 9.25 प्रतिशत एवं 7.14 प्रतिशत दर्ज हुई जो की नीचे दर्शाये गये pkV 4-2 में देखा जा सकता हैः

[1] राज्य के स्वयं का राजस्व, सहायता अनुदान एवं विभाज्य संघीय करों एवं शुल्कों में राज्य के हिस्सा का निवल आगम सम्मिलित है।

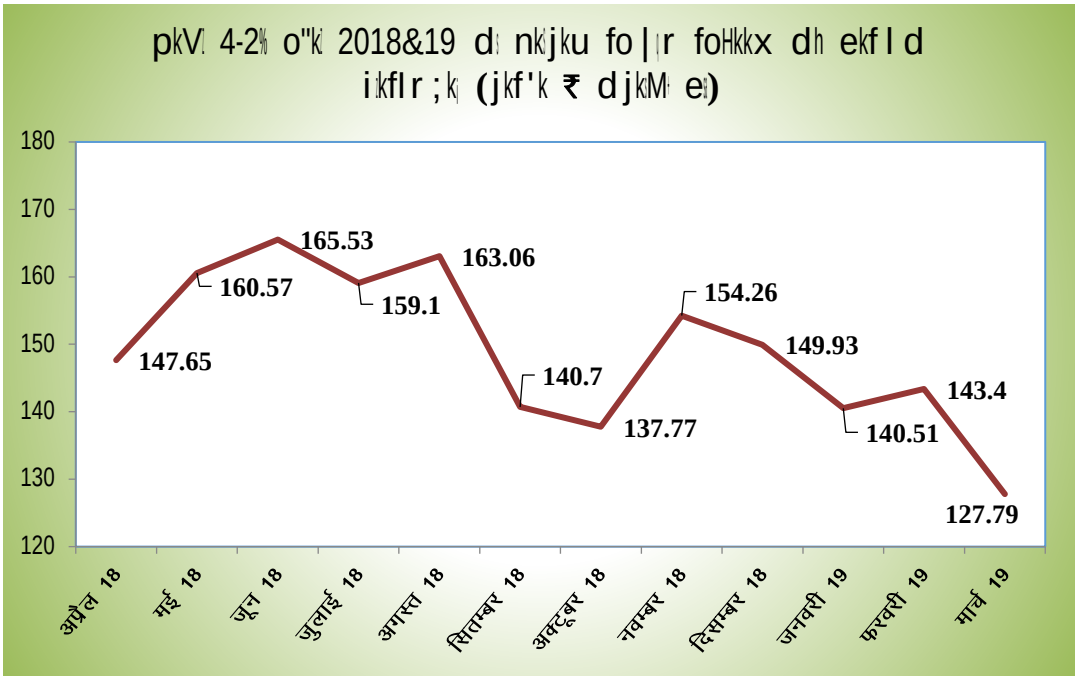

विद्युत शुल्क की प्राप्तियाँ निम्न अधिनियम, नियमों एवं परिपत्रों के प्रावधानों के अंतर्गत विनियमित होती हैं:

- विद्युत अधिनियम, 2003;
- केन्द्रीय विद्युत प्राधिकरण (सुरक्षा तथा विद्युत आपूर्ति संबंधि उपाय) विनियम, 2010;
- छत्तीसगढ़ सिनेमा (विनियम), 1972;
- छत्तीसगढ़ अनुज्ञापन मंडल (विद्युत) विनियम, 1960
- छत्तीसगढ़ विद्युत शुल्क अधिनियम एवं नियम, 1949;
- छत्तीसगढ़ उपकर अधिनियम, 1981 एवं
- शासन एवं विभाग द्वारा समय–समय पर जारी किये गये अधिसूचनायें/परिपत्र

4-2 ys[kkijh{kk ifj.kke

लेखापरीक्षा द्वारा वर्ष 2018–19 में 16 इकाईयों में से दो[2] इकाईयों की नमूना जाँच की गई ताकि यह आस्वाशन प्राप्त किया जा सके कि शुल्क का आरोपण, संग्रहण एवं लेखाबद्ध संबंधित अधिनियमों, संहिताओं और नियमावली के अनुसार की जा रही है एवं शासन के हितों की रक्षा की जा रही है। वर्ष 2017–18 के दौरान विभाग द्वारा ₹ 1,688.95 करोड़ का राजस्व अर्जित किया गया जिसमें से लेखापरीक्षित इकाइयों ने ₹ 1,461.66 करोड़ संग्रहित किये जो कुल राजस्व का 87 प्रतिशत था। लेखापरीक्षा ने 1,720 प्रकरणों में ₹ 0.09 करोड़ की अनियमिततायें पायी।

विभाग द्वारा राशि ₹ 0.09 करोड़ की टिप्पणियाँ जिसमें 1,720 प्रकरण सन्निहित हैं, को स्वीकार किया गया। हालांकि कोई वसूली नही की गई। लेखापरीक्षा द्वारा विभाग से अनुशीलन किया जा रहा है।

---

[2] मुख्य विद्युत निरीक्षक, रायपुर और सहायक अभियंता (वि.सु.) एवं सहायक विद्युत निरीक्षक, उप संभाग क्र. 1, रायपुर।

तथ्यात्मक विवरण (10/02/2020) जो पूर्व लेखापरीक्षा अवधि मार्च 2017 से फरवरी 2018 से संबंधित है, के उत्तर में विभाग द्वारा दो प्रकरणों में ₹ 1.23 करोड़ की वसूली सूचित (मई एवं अगस्त 2020) की गई।

4-3 fo|r 'kYd d foyc l Hkxrku ij C;kt dk vukjki.k

fo|r 'kYd d foyc l Hkxrku ij e[; fo|r fujh{kd }kjk C;kt vkjkfir dju e foQyrk d QyLo:i C;kt ₹ 1-24 djkM dh vikflrA

छत्तीसगढ़ विद्युत शुल्क नियम, 1949 के नियम 5 (1) के अनुसार जहाँ शुल्क का भुगतान नियम 3 में विनिर्दिष्ट अवधि के भीतर नही किया गया हो, उक्त का भुगतान उस पर ब्याज के साथ देय होगा। आगे, नियम 5 (2) के अनुसार, ब्याज की दर शासन द्वारा समय समय पर अधिसूचना द्वारा तय किये गये अनुसार होगी लेकिन 24 प्रतिशत प्रतिवर्ष से अधिक नही होगी। शासन द्वारा तीन माह से लेकर 12 माह तक के विलंब एवं उससे अधिक विलंब से भुगतान पर क्रमशः 12 प्रतिशत से 24 प्रतिशत तक की ब्याज दर तय की गई है।

कार्यालय मुख्य विद्युत निरीक्षक, छत्तीसगढ के 79 में से 29 विद्युत ऊर्जा उत्पादकों के अभिलेखों के नमूना जाँच (मार्च 2018) किये जाने पर लेखापरीक्षा ने पाया कि विद्युत ऊर्जा के दो उत्पादकों[3] द्वारा उनके संयंत्रों में किये गये विद्युत ऊर्जा की खपत पर राशि ₹ 10.15 करोड़ का विद्युत शुल्क भुगतान निर्धारित समय से सात से आठ माह के विलंब से दिसम्बर 2016 से मार्च 2017 की अवधि के मध्य किया गया। उपरोक्त नियम 5 के अनुसार मुख्य विद्युत निरीक्षक द्वारा विलंब से हुए भुगतान पर राशि ₹ 1.24 करोड़ का ब्याज लगाया जाना था। हालांकि पाया गया कि मुख्य विद्युत निरीक्षक द्वारा कोई ब्याज नहीं लगाया गया। अतः विलंब से भुगतान पर मुख्य विद्युत निरीक्षक द्वारा ब्याज आरोपित करने में विफलता के फलस्वरूप राजस्व राशि ₹ 1.24 करोड़ की अप्राप्ति हुई जैसा कि **परिशिष्ट 4-1** में दर्शाया गया है।

प्रकरण को अभिमत के लिए शासन/विभाग को सूचित (मई 2020) किया गया। मुख्य विद्युत निरीक्षक द्वारा दोनों उत्पादकों के संबंध में सूचित किया गया (मई 2020) कि ब्याज की राशि आज दिनांक तक प्राप्त नहीं हुई है। शासन का उत्तर अप्राप्त है (नवम्बर 2020)।

[3] जिंदल स्टील एवं पावर लिमिटेड, रायगढ़ एवं ए.सी.बी. (इंडिया) लिमिटेड (2 x 135 मेगावाट), कसाईपाली, कोरबा।